



उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 220918201907147

ग्राम क्रमांक : 220918 ग्राम का नाम / परगना : फल्हेउल्ला गंज(ठाकुरद्वारा) तहसील : ठाकुरद्वारा जनपद : मुरादाबाद फसली वर्ष : 1421-1426 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति सरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	-----2-----	3	4	5	6	7-12	13

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

00194	बुद्धा शाह / हमीद शाह / नि. ग्राम खुशीद अहमद / सन्तार / सदाफत तहसील धामपुर	1380फ	589/1	1.6190		अदेशानुसार श्रीमान नाथव तहसीलदार उत्तरी महोदय वाद संख्या 615/08 /20.08.2008को गा0स0589/1 /1.619हे0 लगान 46.00रु0मे से 0.70डि0से विक्रेता बुद्धाशाह पुत्र हमीदशाह नि0मौ0फतहउल्लागंज ठाकुरद्वारा का नाम खारिज होकर केता बलराम सिंह पुत्र भूपालसिंह नि0 कुआखेडा खालसा का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो ह0आर0के01.09.08 अदेशानुसार श्रीमान ना0तहसीलदार उ0महोदय वाद सं0 455/08/26.08.2008को	
-------	---	-------	-------	--------	--	---	--

गा0सं0589/1/1.619हे0लगान
46.00रू0वकदर भाग से मंे से 0.91डि0से
बुढासाह पुत्र हमीद साह नि0मौ0फतहउल्लागंज
ठाकुरद्वारा का नाम खारिज होकर भगवंत सिंह
इन्सटीट मूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ठाकुरद्वारा
द्वारा प्रबंधक बलराम

सिंह पुत्र भूपालसिंह नि0कुआखेडा खालसा का
नाम बतौर बैनामा दर्ज हो
ह0ए0अर0के01.09.08

अदेशानुसार श्रीमान ना0तहसीलदार द0महोदय
बाद सं0 456/08/26.08.2008को
गा0सं0589/1/1.619हे0लगान 46.00रू0के
वकदर भाग मंे से 0.79.5डि0से बुढा साह पुत्र
हमीद साह नि0मौ0फतहउल्लागंज ठाकुरद्वारा का
नाम खारिजहोकर

भगवंत सिंह इन्सटीट मूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज
ठाकुरद्वारा द्वारा प्रबंधक बलराम सिंह पुत्र भूपालसिंह
नि0कुआखेडा खालसा का नाम बतौर बैनामा दर्ज
हो ह0ए0अर0के01.09.08

अदेशानुसार श्रीमान ना0तहसीलदार द0महोदय
बाद सं0457/08/26.08.2008को गा0सं0
589/1/1.619हे0लगान 46.00रू0के वकदर
भाग पूर्ण क्षेत्रफल 0.79.5डि0से बुध्दासाह पुत्र
हमीद साह नि0ग्राम मौ0फतहउल्लागंज ठाकुरद्वारा
का नाम खारिज होकर

भगवंत सिंह इन्सटीट मूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज
ठाकुरद्वारा द्वारा प्रबंधक बलरामसिंह पुत्र भूपालसिंह

नि0कुआखेडा खालसा का नाम बतौर बैनामा सहखातेदार के रूप में दर्ज हो ह0आर0के0 1.09.08

न्यायालय उपजिलाधिकारी महोदय ठाकुरद्वारा वादसं0 4/ 08-09 अन्तर्गत धारा 143 जैड0 ए0एन्ड0एल0आर0 एक्ट भगवन्त सिंह इन्सटीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ठाकुरद्वारा द्वारा प्रबन्धक बलराम सिंह पुत्र भोपाल सिंह नि0 कुआखेडा बनाम नगरपालिका परिषद ठाकुरद्वारा द्वारा चैयमैन नगरपालिका परिषद ठाकुरद्वारा,

उपरोक्त वाद में इस न्यायालय के आदेश दि0 18.2.09 के अन्तर्गत ग्राम फतेहउल्लागंज के खाता सं0 208 के गाटा सं0 589/1 रकबा 1.619हे0 में से 1.012हे0 लगान रु0 46.00रु0 में भगवन्त सिंह इन्सटीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ठाकुरद्वारा द्वारा प्रबन्धक बलराम सिंह पुत्र भोपाल सिंह नि0 कुआखेडा खालसा

तह0 ठाकुरद्वारा में नीच भरी होने के कारण उक्त क्षेत्र अकृषिक क्षेत्र घोषित किया जाता है।ह0आर0के0 08.06.09

न्यायालय उपजिलाधिकारी ठाकुरद्वारा वाद सं0 T2015135405933/15 अन्तर्गत धारा 176 जैड ए.एण्ड एल.आर.एक्ट ग्राम फतेहउल्लागंज बलराम सिंह बनाम खुरीद अहमद में आदेश दि. 28.04.15 के द्वारा ग्राम फतेहउल्लागंज में स्थित गाटासं0 589/1/1 रकबा 0.324हे.लगान 9.20रु. कुरी नं. 1 रंग हरा

प्रतिवादी सं. 1 खुशीद अहमद पुत्र सन्तार नि.
सदाफत तह.धामपुर जि. बिजनौर को व गाटासं0
589/1/2 रकबा 0.283हे.लगान 8.05रु. कुरा
नं. 2 रंग पीला वादी बलराम सिंह पुत्र भूपाल सिंह
नि. कुआखेडा खालसा को व गाटासं0 589/1/3
रकबा 1.012हे. लगान 28.75रु. कुरा नं. 3 रंग
नीला प्रतिवादी सं. 2 भगवन्त

सिंह इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ठाकुरद्वारा
द्वारा प्रबन्धक बलराम सिंह पुत्र भूपाल सिंह
नि. कुआखेडा खालसा को कुरे प्रदान किये जाने के
आदेश पारित किये गये। ह.आर.के. 01.05.15

अदेशानुसार श्रीमान तहसिलदार न्यायिक वाद सं0
00483 दि0 21.03.18 को गाटासं0 589/1
रकबा 1.619 हे0 लगान 46.00 रु0 में से
0.28222 हे0 283.20वर्ग मी0 भागानुसार व
खालसासं0 453 के गाटा सं0 592अ रकबा
0.417 हे0 ,592ब रकबा 0.946 हे0 कुल 2
किता रकबा 1.363 हे0 लगान 38.75 रु0 के
अपने हिस्से में से 0.04046 हे0 404.60वर्ग
मी0 से विक्रेता बलराम सिंह पुत्र स्व0 भूपाल सिंह
नि0ग्राम कुआखेडा तहसिल ठाकुरद्वारा कानाम
खारिज होकर केता बी0एस0एजुकेशनल ट्रस्ट
कुआखेडा खालसा तह0 ठाकुरद्वारा जिला
मुरादाबाद द्वारा न्यासी प्रबन्धक बलराम सिंह पुत्र
स्व0 भूपाल सिंह नि0ग्राम कुआखेडा खालसा
तह0 ठाकुरद्वारा का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो।
ह0आर0 के0 22.03.18

न्यायालय उप जिलाधिकारी ठाकुरद्वारा मुरादाबाद

काद सं० टी० 201813540500761
अन्तर्गत धारा 80 राजस्व संहिता उ० प्र० ग्राम
फतेहउल्लागंज परगना व तहसील ठाकुरद्वारा
मुरादाबाद वी०एस० ऐजुकेशनल ट्रस्ट कुआखेडा
खालसा प्रबन्धक वलराम सिंह पुत्र भूपाल सिंह नि०
ग्राम कुआखेडा खालसा तह० ठाकुरद्वारा वनाम
ग्राम सभा मे उपरोक्त विवेचना के आधारपर
तहसीलदार ठाकुरद्वारा की अख्त्या दि०
03/04/2018 से सहमत होते हुये ,ग्राम
फतेहउल्लागंज तह० ठाकुरद्वारा मे स्थित खाता
सं० 194 के गाटा सं० 589/1/2 रकबा
0.383हे० व खाता सं० 453 के गाटा सं०
592 मि० रकबा 0.065हे० कुल 2 किते कुल
रकबा 0.348हे० लगान 10.00र० मे
वी०एस० ऐजुकेशनल ट्रस्ट कुआखेडा खालसा
द्वारा प्रबन्धक वलराम सिंह पुत्र भूपाल सिंह तह०
ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद की मौके पर भवन
निर्माण बने होने के कारण उक्त क्षेत्र को कृषि भूमि
से अकृषिक भूमि घोषित किया जाता
है,ह०अर०के० 23/07/18

1

1.6190 ₹46.00

16

0

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव छः एक नौ शून्य (हैक्टेयर) कुल भू-राजस्व - चार छः दशमलव शून्य शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: RAMAUTAR SINGH



उपरोक्त उरण खतौनी का वेरीफिकेशन <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: SATVIR SINGH

तहसील: ठाकुरद्वारा जनपद: मुरादाबाद

दिनांक एवं समय: 29-07-2019 03:24:55

● यह उरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।